प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

रिपार्ट पटवारी गामड़ व भू.अ. निरिक्षक कोट तहसील रायपुर

महोदय जी,

ग्राम मियाला के खाता 221 में सोहहननाथ पि. ध्यारीनाथ के नाम मे "ह" अक्षर दो बार टाइप हो गया है जबकि शुद्ध नाम सोहननाथ है अत: नाम दुरुस्त कर एक "ह" को हटाकर सोहननाथ पि. ध्यारीनाथ करना उचित है। साक्ष्य मे आधार कार्ड की प्रति संलग्न है।

पटवारी [illegible] 18-10-2021

18/10/21 भू.नि. कोट

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार रायपुर

शुद्धि उचित है

18/10/21

तहसीलदार रायपुर.
जिला भीलवाड़ा

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

आदेश

जांच रिपोर्ट तहसीलदार रायपुर अनुसार एवं संलग्न दस्तावेज अनुसार ग्राम मियाला के खाता सं. 221 मे खातेदार सोहहननाथ पिता ध्यारी नाथ के बजाय सोहननाथ पिता ध्यारी नाथ दर्ज करने की स्वीकृति दी जाती [illegible] कार्यवाही से अमल किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.12.18 16:14:41 IST
Reason: SelfAttested

18.10.2021
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर भीलवाड़ा (राज.)

FORM NO.03
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

अनवान

सोहननाथ पुत्र हजारीनाथ निवासी मियाला तहसील रायपुर
बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर

किस्म मुकदमा धारा 136 रा.भू.राज.अधि. 1956 मु0नं037 सन् 2021(2021/231)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	
दिनांक– 18-10-2021	प्रार्थी सोहननाथ पुत्र हजारीनाथ निवासी मियाला तहसील रायपुर के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि राजस्व ग्राम मियाला के राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी संवत 2074–2077 में खाता संख्या 221 में किता 1 रकबा 0.20 है0 भूमि प्रार्थी सोहहननाथ पुत्र हजारीनाथ सा. देह के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी सोहननाथ पुत्र हजारीनाथ सा. देह के बजाय सोहहननाथ पुत्र हजारीनाथ सा. देह अंकन हो रहा है जबकि वास्तविक नाम सोहननाथ पुत्र हजारीनाथ सा. देह है जिसके सम्बन्ध में आवश्यक दस्तावेज साथ संलग्न है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार रायपुर से जांच रिपोर्ट ली गई जो शामिल पत्रावली की गई। तहसीलदार रायपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम मियाला के खाता संख्या 221 में खातेदार सोहहननाथ पुत्र हजारीनाथ सा. देह के बजाय सोहननाथ पुत्र हजारीनाथ सा. देह दुरूस्ती किया जाना उचित बताते हुए दुरस्ती करने की अभिशंषा की गई। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् तहसीलदार रायपुर की जांच रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाकर खातेदार सोहहननाथ पुत्र हजारीनाथ सा. देह के बजाय सोहननाथ पुत्र हजारीनाथ सा. देह के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने की स्वीकृती दी गई, विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया गया जो शामिल पत्रावली है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज हो। Signature Not Verified Digitally signed by Sundar Lal Bamboda Date: 2021.12.18 16:14:41 IST Reason: SelfAttested 18·10·2021 (सुन्दर लाल बम्बोड़ा) उपखण्ड अधिकारी रायपुर उपखण्ड अधिकारी रायपुर भीलवाड़ा	